

No. EDN-(SE)-H(9)/2026-27 Directorate of School Education
Directorate of School Education,
Himachal Pradesh, Shimla-171001

Deputy Director of
School Education (Sec)
08 SEP 2026
Diary No. 5697
Kangra at Dharamshala

Dated Shimla-1, the September 11, 2026

To

1. All the Deputy Directors School Education (Elementary/Higher), Himachal Pradesh.
2. All Principals DIET's, Himachal Pradesh.

Subject: -

Submission of Budget Estimates for the year 2027-28 and revised budget estimates for the year 2026-27.

Sir,

This is with reference to Finance Department letter No. फिन-ए-सी (6)-2/2026, dated 31.08.2026 vide which it is desired to submit the Budget Estimates under various schemes for the financial year 2027-28 and revised budget estimates for the year 2026-27 by 10th Oct., 2026.

All the Deputy Directors School Education (Elementary/Higher), Principal DIETs and Branch officers/ Superintendents (Internal) DSE in H.P. are requested to compile the budget estimates and revised estimates on the prescribed proforma, scheme wise, showing the number of sanctioned posts, filled up and vacant posts under each scheme of your offices as well as the offices under your administrative control along with schools by holding a meeting with them. After compilation, the same may be sent in consolidated manner (Head of account wise) to this directorate on or before 15th September, 2026, positively with the requisite documents so that the process of preparation of budget for 2027-28 could be started well in time.

Please, treat it most urgent.

Encl: Proforma

Joint Controller(F&A),
Directorate of School Education,
Himachal Pradesh, Shimla-171001

Endst No. EDN(SE)-H(9)- 2026-27

September, 2026

Copy forwarded for information & necessary action to :-

1. DDO-Cum-Superintendent G-I/ Branch Heads E-I, E-II, E-III, E-IV, E-V, Physical Edu., Library, Scholarship, Building, General, PM-Poshan, Sports Branch Directorate of School Education, H.P. Shimla-1.
2. Guard File.

Office of the Deputy Director
of School Education, Secondary
Kangra at Dharamshala.

Joint Controller(F&A),
Directorate of School Education,
Himachal Pradesh, Shimla-171001
Deputy Director of
School Education (Sec)
16 SEP 2026
Dispatch No. 8092
Kangra at Dharamshala

No. EDN - KGR(A-2) - Budget - 2026-27 Dated Dharamshala

All the Heads of GSSS/CHS are hereby directed Submit above mentioned information to this office.

Dy. Director of School Education (Sec)
Kangra at Dharamshala.

फिन-ए-सी(6)-2/2026
हिमाचल प्रदेश सरकार
वित्त (बजट) विभाग

प्रेषक:

प्रधान सचिव (वित्त),
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002.

प्रेषित:

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002.
2. समस्त विभागाध्यक्ष,
हिमाचल प्रदेश।

दिनांक शिमला-171002. 31-08-2026.

विषय:

वित्त वर्ष 2027-28 के लिए बजट अनुमानों तथा चालू वित्त वर्ष
2026-27 के लिए संशोधित बजट अनुमानों को समय पर वित्त
विभाग को भेजने बारे।

महोदय,

जैसा कि आपको विदित है कि आगामी वित्त वर्ष के लिए बजट अनुमान तैयार करने का कार्य वित्त विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह में शुरू कर दिया जाता है। इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2027-28 के बजट अनुमान निर्धारित समय से पूर्व निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वित्त विभाग को प्रेषित किये जाएं:-

1. बजट अनुमान तैयार करने के संदर्भ में, हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 2009 अध्याय-3 "बजट निरूपण और कार्यान्वयन" के नियम 28(3), 30 और 31(4) के अनुरूप इन अनुमानों को तैयार करने के लिए विवरणिकाएं तैयार करने हेतु सरकार द्वारा तैयार किये गए प्रपत्र विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
2. विकासात्मक योजनाओं के लिए योजना विभाग नवम्बर माह में विभिन्न विभागों के साथ बैठकों का आयोजन करेगा तथा तदोपरांत विभागीय सीमा निर्धारित की

Surfham

- जाएगी। तदनुसार विभाग निर्धारित प्रपत्र पर वर्ष 2027-28 के बजट प्रस्ताव दिनांक 30.11.2026 तक इस विभाग को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।
3. भारत सरकार की अनुशंसा के अनुरूप वित्त वर्ष 2027-28 से राज्य सरकार, भारत सरकार द्वारा संचालित मानकों से तादात्म्य स्थापित करने के लिए नये "मानकों/Object Heads" में बजट प्रावधान सुनिश्चित करेगी। इस सम्बन्ध में कार्यालय जापन संख्या Fin-A-C(3)-1/2024 दिनांक 11.08.2026 के माध्यम से आदेश जारी किये जा चुके हैं। यह जापन वित्त विभाग की वेबसाइट <https://himachal.nic.in> पर उपलब्ध है। अतः यह सुनिश्चित किया जाये कि वित्त वर्ष 2027-28 के बजट अनुमान उक्त कार्यालय जापन में अनुशंसित "मानकों/Object Heads" के अनुरूप ही प्रेषित किये जायें। संशोधित अनुमान 2026-27 तक की सूचना विद्यमान मानकों में ही उपलब्ध करवाई जाये।
4. स्थाई और अस्थायी पदों को नव व्यय अनुसूची में शामिल करने के लिए पदों का नाम, वेतनमान तथा उनके सृजन सम्बन्धी लेखा शीर्षों का स्कीमवार विवरण दिया जाना आवश्यक है। जिन पदों का स्थायीकरण कर दिया गया है, उनका प्रावधान नव व्यय अनुसूची में न मांगकर भाग-1 में माँगा जाना चाहिए तथा स्थायीकरण आदेशों की मूल/छाया प्रतियां भी आवश्यक रूप से इस विभाग के अभिलेखार्थ आवश्यक रूप से संलग्न की जानी चाहिए।
5. नोमिनल रोल "वेतन" मद में वास्तविक प्रावधान करने के लिए आवश्यक है तथा पदों से सम्बन्धित सूचना के लिए उत्तरदायित्व विभागाध्यक्षों का होता है क्योंकि भविष्य में पदों से सम्बन्धित सूचना/विवरण के लिए बजट दस्तावेज ही प्रमाणित दस्तावेज होता है। नोमिनल रोल में पदों की संख्या के साथ-साथ पदों का नाम तथा उनके सृजन सम्बन्धी मुख्य शीर्ष, उनका मूल वेतन, पदों का उद्धरण खाली पदों सहित सही व अपेक्षित व्यय के साथ दर्शाया जाना चाहिए। अतः यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी विभागाध्यक्ष अपने-अपने विभाग से सम्बन्धित बजट प्रस्ताव के साथ स्थाई/अस्थायी स्वीकृत पदों का विवरण सत्यापित करके उपलब्ध करवाएं।
6. चालू वित्त वर्ष के बजट अनुमान तथा संशोधित अनुमान में अगर भिन्नता हो तो उसके वास्तविक कारणों का स्पष्ट एवं संक्षिप्त उल्लेख किया जाना चाहिए तथा ऐसी ही प्रक्रिया चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमानों व आगामी वर्ष के अनुमानों में आई भिन्नता हेतु भी अपनाई जानी चाहिए।

Putnam

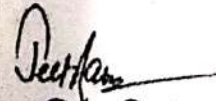
7. कार्यसूची तैयार करते समय पूर्ण हो चुकी स्कीमों को कार्यसूची से हटा दिया जाना चाहिए।

8. राज्य बजट, पूंजी व्यय एवं राजस्व व्यय में वर्गीकृत किया गया है और मांग संख्या-31 (जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम) से संबंधित बजट अनुमान व संशोधित अनुमान के प्रस्ताव जनजातीय विकास विभाग तथा मांग संख्या-32 (अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम) से संबंधित बजट अनुमान व संशोधित अनुमान के प्रस्ताव अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से अक्षम का सशक्तिकरण विभाग के माध्यम से इस विभाग को समेकित रूप से भेजे जाने चाहिए। मांग संख्या-24 (मुद्रण एवं लेखन सामग्री) के अंतर्गत बजट अनुमानों के प्रस्ताव भी इस विभाग को अलग से भेजे जाएं ताकि इन अनुदान मांगों के अंतर्गत बजट अनुमान तैयार करते समय कोई असुविधा न हो।

9. विगत वर्षों में यह देखा गया है कि कुछ विभागों द्वारा उपरोक्त निर्देशों का ध्यान नहीं रखते हुए आधी-अधूरी सूचनाएं ही वित्त विभाग को भेजी जाती हैं। आपसे अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में अपने अधीनस्थ सभी सम्बंधित अधिकारियों/कार्यालयों को कड़े निर्देश जारी करके यह सुनिश्चित करने की कृपा करें कि बजट प्रस्ताव (बजट अनुमान 2027-28 तथा संशोधित अनुमान 2026-27 के प्रस्ताव) उपरोक्त सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करके ही इस विभाग को प्रेषित करें। विभाग गैर विकासात्मक स्कीमों का बजट दिनांक 10.10.2026 तक तथा विकासात्मक स्कीमों के बजट अनुमान दिनांक 30.11.2026 तक योजना विभाग के साथ बैठक उपरान्त इस विभाग को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

कृपया मामले को प्राथमिकता दें।

भवदीय,



अवर सचिव (वित्त),

हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्या: फिन-ए-सी(6)-2/2026 दिनांक शिमला- 171002 31-08-2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त सचिव (जनजातीय विकास विभाग), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002 को इस अनुरोध के साथ कि अनुदान मांग संख्या-31 (जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम) की नव व्यय अनुसूची में भाग-II के विकासात्मक बजट को संग्रहित करके इस विभाग को निर्धारित अवधि के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-171009 को इस अनुरोध के साथ कि अनुदान मांग संख्या-32 (अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम) की नव व्यय अनुसूची में भाग-II के बजट अनुमान संग्रहित करके इस विभाग को निर्धारित अवधि के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
3. वरिष्ठ उप-महालेखाकार (ले०व०ह०), हिमाचल प्रदेश शिमला-171003 को इस अनुरोध के साथ कि मुख्य शीर्ष 2049 तथा 2071 के अंतर्गत बजट अनुमान विस्तृत विवरण सहित इस विभाग को निर्धारित अवधि के भीतर भेजने की कृपा करें।
4. विशेष कार्य अधिकारी, वित्त (अर्थोपाय), हि.प्र. शिमला -2.
5. संबंधित सहायक (वित्त-क अनुभाग एवं वित्त-छ अनुभाग), हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला-171002 को इस आशय के साथ प्रेषित है कि निर्धारित समयावधि पर विभागों से बजट अनुमान प्रस्ताव प्राप्त न होने की स्थिति में वे संबंधित विभागों से अपने स्तर पर भी सम्पर्क/पत्राचार कर सूचना मंगवाना सुनिश्चित करें।



अवर सचिव (वित्त),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

Form for submission of Budget Estimates for Next Financial year and Revised Estimates for Current Financial Year of Receipts under Rules 30 of the Himachal Pradesh Financial Rules, 2009.

[illegible]

Deetham

Abstract of Nominal Roll Demand No.	Name of Scheme/Sub head	for the year	(Part-I)
-------------------------------------	-------------------------	--------------	----------

Name of Posts/Category	No. of Sanctioned Posts	No. of filled up posts	No. of Vacant Posts	Dying Cadre • Yes/No	Number of Posts created during the year	Number of posts abolished during the year	Number of likely retirements during the year	Pay Matrix	Total Salary
	Total								

Abstract of Nominal Roll Demand No.	Name of Scheme/Sub head	for the year	(Part-II)
-------------------------------------	-------------------------	--------------	-----------

[illegible]

Deetman